न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री प्रतापसिंह आई.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 209/2018
अन्तर्गत धारा 88, 188 RT Act

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हाकमसिंह पुत्र कुम्पसिंह 2. वीरसिंह पुत्र कुम्पसिंह 3. कमलसिंह पुत्र कुम्पसिंह जातियान राजपुत निवासी कुबड़िया तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर		1. समन्दकंवर पत्नि तनेराजसिंह 2. महेन्द्रसिंह पुत्र तनेराजसिंह 3. भगवानसिंह पुत्र तनेराजसिंह 4. प्रतापसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 5. दलपतसिंह पुत्र तनेराजसिंह जातियान राजपुत निवासी कुबड़िया तहसी गडरारोड़ जिला बाड़मेर

उपस्थित – वादीगण वकील श्री बृजमोहन कुमावत
प्रतिवादीगण स्वयं

–: निर्णय :–

दिनांक : 16.10.2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी खेत मौजा कुबड़िया तहसील गडरारोड़ के खसरा नम्बर 749/101 रकबा 89–12 बीघा किस्म बारानी चारम का आया हुआ है। वादीगण के वादग्रस्त खेत के पूर्व दिशा के सेढ़ासेढ प्रतिवादीगण का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 101 रकबा 100–00 बीघा का आया हुआ है। यह खातेदारी जोत वादीगण व प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त हुए है जो खातेदारी जोत विभाजन से पुर्व वादीगण एवं प्रतिवादी के वालिदो का संयुक्त खातेदारी का था।

वादीगण व प्रतिवादीगण के वालिदो द्वारा आपसी सहमति एवं मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दिनांक 27.04.1974 को पारिवारिक बंटवाड़ा करवाया था। वक्त बंटवाड़े से दोनो पक्ष अपने–अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज काश्त है लेकिन उस बंटवाड़ा एवं कब्जा काश्त के विपरित हल्का पटवारी ने बिना मौका देखे तरमीम कर दी जो गलत होने से निरस्त की जाकर वास्तविक कब्जा काश्त एवं संलग्न पेश परिशिष्ठ 'अ' अनुसार पुनः तरमीम घोषित कि जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश वादीगण के वाद में वर्णित तथ्यो को स्वीकार कर बताया तथा आपसी सहमति से संलग्न पेश परिशिष्ठ 'अ' अनुसार पुर्व की तरमीम को निरस्त करते हुए नये सिरे से तरमीम करने हेतु सहमति दी है।

वादग्रस्त भूमि के सम्बंध तहसीलदार गडरारोड़ से प्रकरण में वास्तविक क़ब्जा काश्त की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त रिपोर्ट में वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ठ 'अ' अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना सही माना है तथा रैकर्ड में

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

परिशिष्ठ 'ब' अनुसार जो तरमीम की गई है जिसमे व परिशिष्ठ 'अ' में भिन्नता होने से तरमीम दुरूस्त किया जाना आवश्यक बताया है। मौका फर्द दोनो पक्षो की उपस्थित/सहमति से तैयार की गई।

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रस्तुत प्रतिवादीगण राजीनामा एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मय परिशिष्ठ 'अ' को स्वीकार करने में कोई प्रतीत नही होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गडरारोड़ को आदेशित किया जाता है कि वादीगण के खेत मौजा कुबड़िया तहसील गडरारोड़ के खसरा नम्बर 749/101 रकबा 89–12 बीघा किस्म बारानी चारम प्रतिवादीगण का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 101 रकबा 100–00 बीघा के मध्य पुर्व मे की गई तरमीम को निरस्त कर संलग्न परिशिष्ठ 'अ' अनुसार नये सिरे से तरमीम करे। परिशिष्ठ 'अ' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रतापसिंह)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 17:01:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: